में उठाया था परन्तु जिसे बाद के लिये स्थगित कर दिया गया था न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रयास किये जाने से सम्बन्धित था। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि एक समिति थी और मैं उस समिति का संयोजक था। मैंने न्यायालय फीस को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव किया था लेकिन राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। राज्यों ने कहा कि वे न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के लिए तैयार हैं।, इसके बाद हमने पूरे भारत का दौरा किया। हमने विभिन्न राज्यों से परामर्श किया और सौभाग्य से सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें वे सभी राज्य शामिल थे जिनसे हमने परामर्श किया था। अतः उस दस्तावेज को अभी विधि मंत्रियों के सम्मेलन तथा अन्ततः मुख्य मंत्रियों द्वारा पारित किया जाना है क्योंकि न्याय को इस दृष्टि से आम लोगों को न्यायालय फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी सस्ता बनाने की दिशा में यह एक कदम होगा, हालांकि यह एक छोटा कदम है। यह एक सिद्धान्त है कि अपने नागरिकों को न्याय दिलाना, उसको बेचना नहीं, राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य है, इसलिये राज्य को नागरिकों को न्याय दिलाने के लिये उनसे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। ···(व्यवधान) मैं कड़े शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, अन्यथा ऐसा होता है कि जब कोई नागरिक यह कहते हुए न्यायालय में आता है कि वह मुसीबत में है तो न्यायालय को उससे यह नहीं कहना चाहिये कि "इससे पहले कि आपकी बात को सुना जाये आप राज्य के खजाने में कुछ दीजिए।" मैंने यह कहकर शुरूआत की थी कि न्यायालय फीस समाप्त की जानी चाहिए परन्तु राज्य सहमत नहीं हुए। लेकिन अब उसे युक्तिसंगत बनाने की बात की जा रही है। अतः मैं श्री अशोक सेन से अनुरोध करूंगा कि उनको उस रिपोर्ट को स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिये।

महोदय, बहुत से ऐसे अन्य मामले हैं जिन पर मुझे बोलना था परन्तु जैसा कि मैंने कहा मुझे शुरू में आपका संदेश मिला था कि मुझे अधिक समय नहीं लेना चाहिये। मैं केवल यही कहूंगा कि यह दस्तावेज केवल एक बात दर्शाता है। राष्ट्रपति जी ने कहा और उन्होंने उसे दोहराया कि राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण के दौरान जिन मामलों का उल्लेख किया गया था उनमें से अनेक मामलों को संक्षेप में दोहराया गया और मुझे यह पढ़कर खुशी हुई है : "सरकार ने उन वायों को काफी सीमा तक पूरा कर दिया है जिन्हें पिछले वर्ष करने का बीड़ा उठाया था।" अतः कोई भी सरकार वास्तव में गर्व महसूस कर सकती है कि उसने किये गये वायदों को काफी सीमा तक पूरा कर दिया है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं कि पिछले वर्ष जो वायदे उन्होंने किए थे उन्हें पूरा किया गया तथा मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वर्ष में जो वायदे किए जायेंगे उन्हें भी पूरा किया जाएगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण वाक चातुर्य प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है और मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करूंगा जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने किया है। हमने पिछले वर्ष जो कुछ कहा था जो वायदे किए थे उन वायदों को कहां तक पूरा किया गया है और भविष्य में हमें क्या करना है यह समय इस सब का जायजा लेने का समय है। पिछले वर्ष जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो देश के सामने दो बड़ी समस्यायें थीं—पंजाब में क्या होगा और असम में क्या होने जा रहा है दो आंदोलन चल रहे थे। हमने चुनावों के दौरान तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह वचन दिया था कि सबसे पहले इन दोनों समस्याओं का हल निकाला जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि हम पिछले वर्ष इन दोनों राज्यों में समझौते पर पहुंचने

में सफल हुए। (व्यवधान) हालांकि वे इतने खुश नहीं दिखाई देते, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस सत्र में हमारे साथ उन दोनों राज्यों के नए सदस्य बैठ हुए हैं।

महोदय, असम के साथ जो समझौता हुआ है उसके पालन में संतोषजनक प्रगति हो रही है। जो मन्त्रालय इससे संबंधित है हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए है और उस पर जिस ढंग से अमल हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं।

लेकिन पंजाब के मामले में कुछ कठिनाईयां आई हैं। समझौते के एक खण्ड में आयोग की स्थापना का उपबन्ध है जो ऐसे गांवों का पता लगाएगा जो चड़ीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जायेंग। बदकिस्मती से आयोग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी कि हम उस पर कोई कार्यवाई नहीं कर सके। मूल समझौते के अनुसार जिसमें आयोग को यह मामला सौंदे जाने का प्रावधान है, हमें आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करना है और हम वैसा ही कर रहे हैं।

जैसाकि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच आपसी समझौते या इसकी जांच के लिए अन्य आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दूसरे आयोग के संबंध में एक छोटा प्रश्न है क्योंकि हम वही निर्देश-पद नहीं दे सकते जिससे कि हमें वही उत्तर मिले। अतः दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता है लेकिन हमें आशा है कि हम यह कर सकते है तथा हम आगे बढ़ सकेंगे। हम यह भी देख रहे हैं कि समझौते के अन्य पहलुओं, एस.वाई.एल. नहर, जल आबंटन हरियाणा की राजधानी और समझौते के अन्य खण्डों के संबंध में क्या किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश पंजाब में आतंकवादी और उग्रवादी फिर से सक्रिय हो गए है। मैं प्रत्येक को विशेष रूप से पंजाब सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने आतंकवाद के विरूद्ध मतदान किया। अधिकांश लोगों ने अकाली दल और कांग्रेसों दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया जिन लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया था मतदाताओं ने उनको फटकारा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मत डाले मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम आतंकवादियों को वैसा ही मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे जैसा कि मतदाताओं ने आतंकवादियों को दिया है तो हम मतदाताओं के साथ इन्साफ नहीं करेंगे। कड़ी धमकियों के बावजूद मतदाता का सामना करने और इनको खदेड़ने के लिए भारी संख्या में मतदान करने आए। हमें आज यही करना है। हमने पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण में एक वायदा यह भी किया था कि चुनाव कानून में सुधार किया जाएगा और सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाया जायेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने अनेक उपाय किये हैं। पहला उपाय दल बदल विरोधी अधिनियम था जिसकी काफी समय से बात की जा रही थी। परन्तु पिछले वर्ष हमने इस सदन में इसे पारित किया। हमने राजनीतिक दलों के लिए कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे का भी समाधान किया।

यह विषय कई वर्षों से चलता आ रहा था और यह आरोप लगाया गया था कि यह चुनावों में भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण था। हमने हर वर्ग में, और देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का समाधान किया है। जहां कहीं भी सूचना उपलब्ध हुई हैं, कार्रवाई की गई है। इस मामले में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है या पूर्वग्रह से कार्यवाही नहीं की गई है मैंने बम्बई

में कांग्रेस दल को संबोधित करते हुए और आपके द्वारा दिए गए मध्याह्नभोज में जब मैं विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं से मिला था तब बताया था कि हम कुछ अन्य कदम उठाना चाहते हैं और उनमें से एक यह है कि हम अपने दल के हिसाब किताब को आम जनता के सामने लाना चाहते है। मैंने सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय दलों के कोषाध्यक्षों का एक दल बनाना चाहिए जो यह निर्णय करेगा और हमें सुझाव देगा कि हम इसको किस प्रकार से करें तथा आपकी सहमति से हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप क्षेत्रीय दलों को क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : हम उनको भी शामिल करेंगे (व्यवधान)।

एक और बड़ा कदम जो हमने उठाया है वह यह है कि प्रत्येक बड़े ठेके से एजेन्टों अथवा दलालों को निकाल दिया जाये। और यह एक प्रगतिवादी उपाय है। हम ऐसा करेंगे और प्रत्येक मंत्रालय ऐसा करेगा और प्रत्येक ठेके में इसका पालन किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में जो वायदा हमने किया है उस पर हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने कई मंत्रालयों में शिकायत सुनवाई तंत्र की व्यवस्था की है। बैंकों से सराहनीय जानकारी मिल रही है प्रशासन में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दो अलग-अलग योजनाएं हैं, पहली पुनश्चर्या किस्म का अल्पकालीन पाठ्यक्रम और दूसरी दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम जिसके द्वारा समस्याओं के बारे में अधिक ज्ञान दिया जा सके ताकि देश के एक भाग में यदि किसी के सामने कोई समस्या आई है तो देश के अन्य भागों में समस्याओं को हल करने में वह सहायक सिद्ध हो सके। वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्ति मिलकर काम करेंगे और इससे प्रशासन में चुस्ती आएगी। कार्मिक नीतियों की पुनरीक्षा की जा रही है। निर्णय लेने में लगने वाले समय, कुछ कार्यवाहियों पर होने वाली लागत को दृष्टि में रखते हुए सरकार की कार्यकुशलता में काफी वृद्धि हुई है। परिणामों और उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है। सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और प्रगति संतोषजनक है और उसके लिए जो धन नियत किया गया है, वह अन्य योजनाओं पर खर्च न किया जाए।

हमने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक नई योजना बनाई है जिसके द्वारा ब्लाकों में वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता लगाया जा सके। उस ब्लाक में प्रत्येक व्यक्ति को जिसे राज्य द्वारा सूचित किया गया है बुलाया जाएगा और उससे बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। मैं आपको यहां कुछ उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, ऋण के लिए आवेदन करने से लेकर ऋण मिलने तक कितना समय लगता है, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए यात्रा में कितना खर्च किया गया, उस ऋण का क्या परिणाम हुआ, क्या उसे उससे लाभ पहुंच रहा है ; कौन बैंक सक्रिय है और किस राज्य में। यह एक जटिल काम है। लेकिन यह बहुत साधारण है और आप इसे चार्ट पर बहुत आसानी से देख सकते हैं इससे हमें पहली रिपोर्ट मिली है और कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी। हम इसका उपयोग न केवल इसलिए करेंगे कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अपितु जहां कहीं हमें कार्यान्वयन में कमियों का पता चलेगा, किसी विशेष

कार्यक्रम में कमियां पाई जाती हैं या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यक्रम जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उनको ठीक करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। अतः जैसे ही हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, उन कमियों को ठीक करेंगे।

हमने एक नई शिक्षा नीति का वायदा किया है। हमने पिछले वर्ष अगस्त में स्टेटस पेपर तैयार किया था। राष्ट्रीय वाद विवाद आरम्भ हो गया है और बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। संजोया गया है और मानव ससांधन विकास मंत्री इस सत्र में सदन के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे हमने शिक्षा के मूल सिद्धांत का विस्तार करके मानव संसाधन विकास के व्यापक सिद्धांत को अपनाया है जो दो तरीके से कार्य करता है। पहला मानव का वास्तविक विकास जिससे उसे बेहतर मानव बनाया जा सके, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता का विकास किया जा सके, दूसरा पहलू यह है कि हमें भविष्य में किस प्रकार के मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी कितने डाक्टर, कितने कृषि वैज्ञानिक, कितनी नर्सें, कितने इन्जीनियर, कितने वैज्ञानिक, किस प्रकार के वैज्ञानिक, किस प्रकार के इन्जीनियर। इस प्रकार का कार्य पहले नहीं किया गया है और जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या आवश्यकता है तब तक हम उस चीज का जिसकी हमें आवश्यकता है निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमारे बहुत से वैज्ञानिकों के विदेश चले जाने के पीछे यह भी एक कारण है। वे ऐसें विषयों का अध्ययन करते है जो कम संगत है या जिसकी हमें आज उतनी आवश्यकता नहीं है और हम उनको रोजगार नहीं दे सकते, हम अपने लाभ के लिए उनके ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिलाओं, बच्चों और युवकों के विकास का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। हमने कई कार्यक्रम शुरू किए है और अनेक कार्यक्रम शुरू किए जाने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने "युवा वर्ष" मनाया था। हमने नेहान युवक केन्द्रों को पुनर्गठित किया है, उनको स्वायतता प्रदान की है यह संस्थान बहुत सक्रिय बना दिया जाएगा जिससे देश के युवकों को इससे लाभ मिल सके।

वायदे के अनुसार हमने एक नई कपड़ा नीति लागू की है। इस कपड़ा नीति के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा और लोगों को कपड़ा सस्ता उपलब्ध होगा। इस नीति पर उतनी तेजी से अमल नहीं किया जा सका है जितना कि हम चाहते थे। परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम देखेंगे कि यह तेजी से लागू है। बुनकरों अथवा हथकरघों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम अपेक्षित सुधार करेंगें।

हमने न्यायिक प्रणाली को भी नया रूप देने का वायदा किया था। इस बारे में भी हमने काफी प्रगति की है। श्रीमन, पिछले वर्ष लोक अदालतें स्थापित की गई थीं और मामलों को निपटाने की गति काफी तेज हो गई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से न्यायालयों पर भार और कम हो जाएगा तथा विधि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण की समस्या को हमने पूरी तरह से सुलझाना शुरू कर दिया है। शहरीकरण की समस्या के बारे में हमने एक ग्रुप की स्थापना की है जो अगले 15 वर्षों तक भारत के लिये

शहरी विकास की समूची संकल्पना पर विचार कर रहा है। आज हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आये दिन लोग शहर की ओर भागते हैं। वे गन्दी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं। हमें एक ऐसा समुचित सिद्धांत अपनाना होगा कि शहरीकरण के बारे में हमें क्या करना होगा। शहरीकरण की बातें करते समय मेरा तात्पर्य केवल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास अथवा कुछ अन्य शहरों से नहीं है। मैं छोटे शहरों के बारे में भी बात कर रहा हूं और मेरे पास उसकी पूरी तस्वीर है कि हमें अपने शहरी ढांचे का विकास किस प्रकार करना है।

एक अन्य आश्वासन हमने गंगा की सफाई के बारे में दिया था। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। इसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। सम्भवतः पहला ठोस कार्य लोगों के समक्ष उस समय आयेगा जब हरिद्वार में अगले महीने कुम्भ मेला होगा जब वे गंगा नदी को और अधिक साफ पायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : और अधिक प्रदूषण होगा।

श्री राजीव गांधी : प्रदूषण के बारे में भी हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसमें हम केवल शोर से होने वाले प्रदूषण की बात रखना भूल गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें कोई चिंता नहीं है। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें हंसी और शोर में जो अन्तर है, उसके बारे में पता नहीं है। शोर वह है जो इस सभा में विपक्ष की ओर से सुनाई पड़ता है।

श्री नारायण चौबे : हंसी में शोर नहीं होता।

श्री राजीव गांधी : बेकार भूमि को उपयोग में लाने का हमने एक और वायदा किया था। हमने इस कार्य के लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया है और कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है। इसके लिए हमने बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमें यह पता है। और उसे प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है यह बात भी हमें पता है। इस देश को बनाए रखने के लिए इतना करना आवश्यक है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ़ना ही होगा और बेकार भूमि विकास बोर्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगा। इसका सम्बन्ध सभी लोगों से है चाहे वह युवा है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है चाहे गृहिणी अथवा किसान या भूमिहीन व्यक्ति है।

इस समय पर्यावरण की समस्या बनी हुई है। गत लोक सभा के चुनाव अभियान के दौरान भोपाल में एक बड़ी भयानक त्रासदी हुई थी। इसके बाद एक या दो जगह और भी गैस रिसाव की घटनायें हुई थीं। भाग्यवश वे भोपाल की त्रासदी के समान नहीं थीं। इसके सम्बन्ध में हम इस सत्र में एक व्यापक विधान ला रहे हैं जिसके द्वारा सभी खतरनाक पदार्थों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा और पहली बार हम एक ऐसा विधान ला रहे हैं जिसके अन्तर्गत एक औसत नागरिक कार्यवाही कर सकेगा। यह एक ऐसा विधान होगा जिस पर लोग कार्यवाही कर सकेंगे।

हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है कि जिस पर हम सबको गर्व है और हमारा विश्वास

है कि हमारा आर्थिक विकास सही मायने में विकास नहीं होगा यदि इससे हमारी विरासत नष्ट होती है और यदि इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत में किसी प्रकार की कमी आती है और इसी उद्देश्य से हम सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं इसका उद्देश्य प्रत्येक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट विकास करना है तथा उसका विकास न केवल उसके अपने क्षेत्र में तथा अपने लोगों में ही अपितु देश के चारों ओर अन्य स्थानों में भी करना है। उस संस्कृति को विशिष्ट वर्गों के लिए किसी प्रेक्षागृहों और छविगृहों में बन्द करके रखने का विचार नहीं है अपितु बाजार में सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित करने का है तथा मेलों में प्रदर्शित करने का है जहां सामान्य व्यक्ति पहुंच सके। हमने यह भी निर्णय लिया है कि इन सात केन्द्रों तथा पहले से स्थापित अन्य केन्द्रों के सहयोग से हम दिल्ली में एक वार्षिक सांस्कृतिक पर्व का आयोजन करेंगे जो हर वर्ष सरदी के मौसम में आयोजित किया जायेगा और जिससे देश के हर भाग की संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा जिससे कि वे एक दूसरे के साथ सम्पर्क में आ सकें और एक दूसरे से मिल सकें···(व्यवधान) मैं क्या कर सकता हूं, महोदय ? वे लोग बिल्कुल भी सभ्य नहीं हैं···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सायंकाल का मजाक संख्या 2

श्री राजीव गांधी : कम से कम मैं आप लोग को हंसा तो सका···कम से कम आप हंसे तो सही।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं हसूंगा—उचित समय पर हसूंगा।

श्री राजीव गांधी : बहुत कठिन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम लोग चुपचाप अभी तक हंसते रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आपकी ओर हंसने वाली बहुत सारी गुड़ियां हैं।

श्री राजीव गांधी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे विकास में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। हमारा उद्देश्य अपने लोगों के विकास, गरीबी हटाओ कार्यक्रम तथा सामाजिक दृष्टि से संकल्प क्षेत्रों के लिए है। हम अनेक वैज्ञानिक मिशन स्थापित कर रहे हैं और प्राथमिकता वाले क्षेत्र बना रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी-पूरी निधि मिले और उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध किया जा सके और इन क्षेत्रों में अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हो सकें।

हमने एक और क्षेत्र को चुना है और वह है पेयजल। यह कार्य संभवतः सरल हो, किन्तु इसके लिए उच्च स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विधि को काम में लाना पड़ता है। हमें तिलहनों का विकास, बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण तथा निक्षरता दूर करना। हम एक नया बायोरेक्नालाजी केन्द्र एक नया बायोटेक्नालाजी विभाग स्थापित कर रहे हैं।

सातवीं योजना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तैयार किए गए एक ऐसे दस्तावेज पर आधारित है जिसमें खाद्यान्न, काम और उत्पादकता पर जोर दिया गया है। 1947 से जब हमें आजादी मिली थी, हमारी योजना प्रक्रिया, हमारी विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमारे मौलिक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी सारी योजनाओं, हमारी सभी आकांक्षाओं और हमारे विकास

का मूल आधार वैसा ही बना हुआ है। हमारा ध्येय भारत को एक मजबूत, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और आत्म निर्भर बनाने का रहा है'''(व्यवधान) यदि आप चाहें तो मैं इस बात को दोहरा सकता हूं। किन्तु उचित तो यह होगा कि आप इसे 'कल लिखित रूप में प्राप्त कर लें। हम वह भारत चाहते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और जिसके लिए हम सभी वचनबद्ध हैं।

भारत क्या कर सकता है और वास्तव में क्या कर रहा है इसके बीच का अन्तर ही हमारी विकास प्रकिया की प्रमुख समस्या है। हमें इस अन्तर को दूर करना होगा। गत वर्षों में हमारी अत्यधिक उपलब्धियां रही हैं। कृषि उद्योग और हमारे लोगों के जीवन में जो मूल परिवर्तन आए हैं वे सभी के समक्ष हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम आज इससे भी अधिक गति से कार्य कर सकते हैं? हम गरीबों, पददलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और अधिक कार्य कैसे कर सकते हैं? हमारी योजना इसी लक्ष्य पर आधारित है। योजना को पूरा करने के लिए सेवा और त्याग चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है—"सुनहरे कल के लिये पीढ़ितों के त्याग से राष्ट्र का निर्माण होता है।" इसीलिये कल के लिये आज हमें कुछ करना होगा।

(व्यवधान)

पंडित जी और इंदिरा जी ने इसकी आधार शिला रखी थी। यह आज भी बरकरार है और कल भी रहेगा और हम उसी आधार पर चलते रहेंगे। हमारे निदेशों और हमारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : शास्त्री जी का क्या योगदान रहा है?

श्री राजीव गांधी : मोरारजी जी का भी रहा है।

कुछ माननीय सदस्य : हमने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री राजीव गांधी : मैं योजना के बारे में कह रहा था। हमारी योजना के उत्पादन में एक प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कोई योगदान नहीं रहा है। यदि आपको न पता हो तो मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप विद्वान लगते हैं। हमारा विकास (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यदि आपको याद हो, तो ये 'शेलिंग' योजनायें हैं, जिन्हें आपने शुरू किया था। यदि आपको याद हो तो, इस योजना ने कुछ लोगों को धराशायी कर दिया था और हम इस बात में बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि यह देश को गर्त में नहीं ले गयी और हम जहां थे वहीं

वापस आ गए। लोग इस बात तो समझ गये हैं कि रोलिंग योजना क्या है और सत्तारूढ़ दल क्या करता रहा है और वे लोग परास्त हो गए तथा आपको बनाए रखा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : उदाहरण के लिए हमारा विकास 13 प्रतिशत रहा है। इससे हमारी स्वतन्त्रता सुदृढ़ हुई है। यदि हम इस विकास को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें अपने विकास के लिए स्वयं उत्पादन करना होगा। इसके आश्वासन तरीके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कुछ और कहना है ? कोई और सुझाव है ? महोदय, यथार्थ रूप में मुझे यही कहना था। यदि हम उनके सुझावों पर चलते रहे तो हम स्वतन्त्र नहीं रह सकेंगे। हम अपनी स्वतन्त्रता खो देंगे। संक्षेप में यही है···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हम वास्तव में आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई कृपा तो नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री राजीव गांधी : अल्पकालिक समाधान उपलब्ध है। उनमें से कुछ तो मेरे मित्रों ने दिये थे। किन्तु वे सब अल्पकालिक सुझाव है और हम उन पर अमल नहीं करेंगे। अपने स्वतन्त्रता संग्राम में हमने अपनी प्रभुसत्ता के लिए कीमत चुकायी है। हम इसे जानते हैं।

महोदय, हमारे कुछ मित्र अपने सिर हिला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे समझते हैं क्यों कि सभा में विपक्षी दल में बैठे लोगों में से ही अधिकांश लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कम से कम हम दूसरे पक्ष में नहीं मिल सके। क्या उस बात को भुलाया जा सकता है ? क्या आप भूल सकते हैं ?

पिछले दिन एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया है और अब हमें अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना होगा और मैं ऐसा महसूस करता हूं जिन लोगों ने अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष नहीं किया है वे यह नहीं जानते कि आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये किस प्रकार से संघर्ष किया जाये···

एक माननीय सदस्य : उस ओर ऐसे कितने सदस्य हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह प्रश्न किसी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ नहीं है।

यह प्रश्न दल की भावना से सम्बन्धित है जिसका गठन स्वतन्त्रता संग्राम के आधार पर हुआ था··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 17 वर्ष पुराना दल ।

श्री राजीव गांधी : निःसन्देह आपको हमारी उस भावना का पता नहीं होगा जिसके आधार पर हमारा स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमने स्वतन्त्रता संग्राम के माध्यम से जो प्रभुसत्ता अर्जित की है उसका हम विकास के सस्ते और आसान तरीकों के साथ विनिमय नहीं करेंगे । हम स्वयं संसाधन पैदा करेंगे और हम देखेंगे कि भारत मजबूत, स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न बना रहे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकता ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, कुछ दलों के मुख्य मंत्रियों ने, जो बहुत ही खर्चीली परियोजनायें लेकर मेरे पास आये थे, वामपक्षी रवैया अपना लिया है···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : नहीं महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान सकता ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय···

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह प्रधानमन्त्री हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैंने किसी राजनीतिक दल या मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है । शायद, जिस मुख्य मंत्री की बात हम कर रहे हैं, उन्हें आप जानते होंगे । आप किस मुख्य मंत्री की बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं अपने माननीय मित्र से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा अनुमति नहीं दी जाती है । शांति, शांति

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, शायद मैंने किसी दल का नाम भी नहीं लिया। शायद मेरे माननीय मित्रों को इसका निश्चित अनुमान होगा कि यह कौन हो सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी बैठिए, सोमनाथ जी बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह तो लोगों का अपना-अपना काम है, लोग करते हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों घबड़ाते हैं, आपका वक्त आयेगा तो आप कह लीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : यह बड़ी विचित्र बात है कि बामपंथी विचारधारा वाले दल अचानक ही दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मेल-जोल प्रारम्भ कर देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शायद मूल्य वृद्धि जैसे कुछ मुद्दों पर।

श्री नारायण चौबे : केरल में मुस्लिम लोग के साथ गठबन्धन है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह एक दुःख का दिन है जबकि हमारे बामपंथी मित्रों ने अपनी विचारधाराओं को हवा में उड़ जाने दिया और दक्षिणपंथी ताकतों, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ मिलने लगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर पुनः थोड़ा-सा विचार करें कि वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

महोदय, विकास के लिए मुख्य शक्ति हमें सार्वजनिक क्षेत्र से मिलनी चाहिए। (व्यवधान) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पैसा तब उपलब्ध हो सकता है जब राज्यों में ऐसी स्थितियां हों कि उन्हें विद्युत मिलती रहे, तथा सार्वजनिक क्षेत्र को काम करने के लिये अन्य सुविधायें भी मिलती रहें।

श्री नारायण चौबे : हम सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

श्री राजीव गांधी : हमें एक मजबूत और सामर्थ्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है जो सार्वजनिक हित के लिए काम करता है, न कि ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र, जो हमारे लोगों का सारा पैसा खींच ले। यह एक मुद्दा है जिस पर हम अपने कुछ मित्रों से भिन्न मत रखते हैं।

श्री नारायण चौबे : यह स्थिति तो आपने ही उत्पन्न की जब आपने निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर रख दिया ।

श्री राजीव गांधी : सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे इस तरह लगातार नहीं बढ़ने दिये जा सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को जरूर बढ़ाया जाना चाहिए और इसे बढ़ाया जायेगा ।'

एक अन्य क्षेत्र जो हमारी प्रगति और विकास के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आधार-भूत आदानों की लागत । एक बार फिर, यह प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार हम एक अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था से हट सकते हैं, किस प्रकार हम अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं । जिस रफ्तार से हम चल रहे है यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही कीमतों के कारण हम बाजार से बाहर हो जायेंगे । हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक अच्छे प्रबन्ध की जरूरत पड़ेगी । साथ ही इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से और अधिक कार्य की आवश्यकता पड़ेगी । ये ऐसे निर्णय नहीं हैं जिनमें हम देर कर सकते हैं । उन निर्णयों को लिया जाना और उन्हें अभी लेना होगा । पिछले एक वर्ष में, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है, घाटे कम हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

विदेशी निवेश सम्बन्धी हमने अपनी नीति नहीं बदली है । हमारे आधार-भूत सिद्धान्त और नीतियां पूर्ववत हैं । सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश रहेगा और किसी भी पिछली योजना की तुलना में यह अधिक होगा ।

साथ ही, हमें भारत में जितनी भी उत्पादक शक्तियां हैं, उन्हें जुटाना होगा । हमने ऐसी सारी उत्पादक शक्तियों को बाहर लाने और उत्पादन में लगाने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए हैं । परम्परा से ही हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है और हम उसे बदलना नहीं चाहते ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कुछ राज्यों में पूंजीवादी परियोजनाएं हैं, और इसीलिए वे आपके पास आते हैं । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पेट्रो-रसायन में आप हमारे साथ सहयोग करने से इन्कार कर देते हैं । क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त ।

श्री राजीव गांधी : यह देखकर अच्छा लगता है कि अर्थव्यवस्था में मिश्रण किस तरह संतुलित है क्योंकि पूंजीपति साम्यवादियों को सन्तुलित कर रहे हैं । मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही हम सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं···

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैंने कहां कि हम यह समझते हैं कि हम केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था से

ही स्वतन्त्र हो सकते हैं। यदि आपका कोई भिन्न विचार है तो आप इसे लोगों के सामने रखिए जैसे कि हमने इसे लोगों के सामने रखा और लोगों ने हमें यहां पहुंचा दिया। आपने अपने विचार लोगों के सामने रखे और लोगों ने आपको वहां रखा है। इस बात को मत भूलिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं जानता हूं कि आपका आकार ही फैल गया है। श्री उन्नीकृष्णन, आप आकार पर कुछ कहना चाहेंगे। मुझे लगा कि आप फैलाव के बारे में कुछ कह रहे थे।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमारा विश्वास है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही हम सच्चे अर्थों में एक स्वतन्त्र तथा आत्म-निर्भर भारत का निर्माण कर पायेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह मिश्रण कैसा है।

श्री राजीव गांधी : यह ऐसा है जैसा कि हम वास्तविक रूप से स्वदेशी विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ-साथ शोध और विकास के भरपूर समर्थन द्वारा अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं।

इस वर्ष हमने रक्षा क्षेत्र में भारी प्रगति की है, शोध और विकास के क्षेत्र में, अपने उत्पादन में तथा अपने स्वदेशी डिजाइनों के क्षेत्र में भी बड़ी तरक्की की है। यहां पर मैं अपने उन माननीय मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने कब एक प्रकार के "बन्द" का आयोजन करवाया था, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था यह वैसा नहीं था···

कुछ माननीय सदस्य : क्या ?

श्री राजीव गांधी : लोगों ने उसे समर्थन नहीं दिया···

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह तो वह रिपोर्ट है जो आपको मिली है।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, इस बारे में मैं बहस नहीं करूंगा सिवाय इस बात के कि इन राज्यों में जहां सरकार ने अधिकारिक रूप से कहा कि 'बन्द' रहेगा, परन्तु अधिकांश चीजें चलीं, रेलें चलीं। (व्यवधान) खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा था। मैं यह कह रहा था कि···

प्रो० मधु दण्डवते : आसूचना रिपोर्टों में शुद्धि की जा सकती है।

श्री राजीव गांधी : मैं यह कह रहा था कृषि को निकालने के बाद हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 450 करोड़ रु० प्रतिदिन है। अब यदि हमने चलिए एक पूरा दिन न रहकर केवल आधा दिन खो दिया हम आपको इसका श्रेय देंगे, तो आपने लोगों के कार्यक्रमों में से 225 करोड़ रु० जलाकर नष्ट कर दिए हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप 1000 करोड़ रु० भी जला दें और लोग चुप रहे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका अपना दृष्टिकोण है। आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है, कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हो सकता है कि आंकड़ों की जहां तक बात है मैं थोड़ा इधर-उधर हो सकता हूं लेकिन हाल ही में जो मूल्य वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि उससे वित्त मन्त्री जी ने लगभग 500 करोड़ रु० ही एकत्र किए हैं—इस संख्या में सुधार किया जा सकता है—और एक दिन में ही आपने उसकी आधी राशि जला डाली है।

6.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे लोगों के आक्रोश का पता चलता है।

श्री वासुदेव आचार्य : कृपया लोगों का मन समझाने का प्रयत्न कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यदि इस देश ने तरक्की करनी है तो यह 'बन्द' आदि से तरक्की नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आंध्र प्रदेश में इन लोगों को क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, प्रत्येक बार जब भी किसी हड़ताल का आह्वान किया जाता है...

एक माननीय सदस्य : किसके द्वारा ?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : कांग्रेस दल द्वारा कराया जाता है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं यह नहीं कह रहा कि किसके द्वारा प्रत्येक बार जब भी किसी बन्द का आह्वान या हड़ताल का आह्वान किया जाता है, देश को धन गंवाना पड़ता है। यदि एक दिन के 'बन्द' का हमें 450 करोड़ रु० चुकाना पड़ता है तो इस एक दिन के कारण किसी विकास परियोजना के लिए 450 करोड़ रु० कम पड़ जाते हैं। मैं इस सदन के उस पार बैठे अपने मित्रों पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि उन्होंने हमारे भारत के लोगों को 225 करोड़ रु० का नुकसान कराया है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आप और आपकी सरकार पर आरोप लगाता हूं कि अपने देश को 1000 करोड़ रु० का नुकसान करवा दिया।

श्री नारायण चौबे : महोदय, इन्हें पण्डित जी, महात्मा गांधी और दूसरे स्वतन्त्रता सेनानियों पर भी आरोप लगाना चाहिए :

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय क्या मेरे विद्वान मित्र कल के 'बन्द' की तुलना उससे कर रहे हैं तो गांधी जी ने कराया था ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हां, अहमदाबाद में, सारे कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, शायद वह यह भूल रहे हैं कि गांधीजी ने हड़तालों और 'बन्द' का आयोजन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया था ।

श्री वासुदेव आचार्य : अब, यह पूंजीवाद के विरुद्ध है ।

श्री नारायण चौबे : क्या आप जन-विरोधी हैं या हम जन-विरोधी हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, आज देश का जो नुकसान हुआ है वह ऐसा है जो नुकसान देश के सबसे निर्धन लोगों द्वारा पूरा किया जाता है । यदि हम एक दिन 100 करोड़ रु० का नुकसान उठाते हैं तो इससे देश के निर्धन वर्ग की जेबें कटती हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : आप लोगों की जेबें काट रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, यह केवल अर्थशास्त्र का ही प्रश्न नहीं है । मेरे योग्य मित्रों के लिए 200 करोड़ रुपये या 300 करोड़ रुपए की बर्बादी करना मामूली बात है जबकि यही राशि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए और विकास के कार्य में इस्तेमाल हो सकती थी । लेकिन इससे भी अधिक कहीं बड़ी बात यह है कि वे साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिल जाते हैं ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : कौन ?

श्री वासुदेव आचार्य : आप साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिले हुए हैं । (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : आरिफ मोहम्मद खान ने त्याग पत्र क्यों दिया ?

श्री राजीव गांधी : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में कोई बात-चीत न करें ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री हमें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर रहे है।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे : ऐसा ही हम कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : साम्प्रदायिकता बुनियादी हथियार रहा है जो कि प्राचीन काल से हमारे देश को कमजोर कर रहा है।

श्री नारायण चौबे : ठीक हैं।

श्री राजीव गांधी : आपका बहुत अधिक धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विषय बदलने के लिए आपने ठीक कहा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गोविचेट्टिपालयम् दोपहर को आपने देर से एहसास किया है।

श्री राजीव गांधी : विभाजन और नष्ट करने की उपनिवेशी धारणा आज भी नहीं बदली है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : भाषण का यह हिस्सा बहुत अच्छा है।

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी बात को समझने में अधिक समय लगता है। (व्यवधान) मैं देख रहा हूं कि इसने बहुत आगे तक प्रभाव डाला है।

यह प्रयत्न जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे विकास शील देशों और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी चल रहा है इन्दिरा गांधी जी के कत्ल के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब हमने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि अब झगड़ा समाप्त हो गया और अब स्थिति एक दम बढ़िया हो जायेगी। हमने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यह केवल आतंकवाद के विरूद्ध पहला कदम था। आतंकवाद का पूरी तरह समाप्त करने में समय लगेगा। प्रत्येक दूसरे देशों में भी आतंकवाद को समाप्त करने में समय लगा है (व्यवधान)। आप अपने को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे कि आपने ही यह बात कही हो। हमारी तरफ से किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है। भगवान के लिए, आप यह क्यों महसूस करते हैं कि मैं आप पर आघात कर रहा हूं मैं आघात नही कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ने हमारी ओर से उल्लेख किया है। इन बातों के बारे आप अपने आपको इतना अधिक दोषी को महसूस करते हैं।

साम्प्रदायिक ताकतों के विरूद्ध लड़ाई का मुकाबला हमें मिलकर करना चाहिए। हम गांधी वादी परम्पराएं साम्प्रदायिक सौहार्द पंडित जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अस्थिरता पैदा करने वाले आतंकवादियों पृथकतावादियों और साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध इन्दिराजी का संघर्ष विरासत के रूप में मिला है हम उनको असफल नहीं कर सकते। साम्प्रदायिकता को राजनीतिक हथियार के

रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । अगर मैं बाबर द्वारा उसके अपने लड़के हुमायुं के लिए की गई वसीयत से एक वाक्य पढ़ूं ।

"यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सभी प्रकार के धार्मिक पक्षपात को अपने दिल से निकाल दें।"

उसे हमें आज करना है ।

स्वतन्त्र भारत का एक आधार यह भी रहा है कि अल्पसंख्यों को जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं को पूरे अधिकार दें ।

मैं आपसे महिलाओं के विषय में बात करूंगा । कुछ ही समय पहले किसी ने आपको इस बारे में बताया जो आपने नहीं पढ़ा है उच्चतम न्यायलय ने शाहबानो के मामले में अपना निर्णय दिया है जिसने अल्पसंख्यक वर्गों के मस्तिष्क में कुछ अनिश्चिताएं उत्पन्न कर दी है क्या ये अनिश्चिताएं किसी ठोस बात पर आधारित है या नहीं इसका फैसला हमें नहीं करना है किन्तु तथ्य यह कि कुछ अल्पसंख्यकों को यह आशंका है स्वतन्त्रता के समय जो गारंटी उन्हें दी गई थी उसे समाप्त किया जा रहा है ।

हमारा देश धर्म निरपेक्ष है । लेकिन क्या धर्म निरपेक्षता की परिभाषा यह है कि "कोई धर्म नहीं" हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म के साथ मिलकर चलना चाहिए दूसरे धर्मों को अपने व्यक्तिगत नियम बनाने की आज्ञा देकर हम सहास्तित्व के अधिकार का सत्यापन करते हैं इससे हमारी धर्म निरपेक्षता एक नहीं होती वास्तव में हमारी धर्म निरपेक्षता का यह मजबूत संघटक है यह भारत की बुनियादी ताकत है कि प्रत्येक धर्म को अपने ढांचे के अन्दर ही कार्य करने की स्वतन्त्रता है हम किसी धर्म को कुचलने या दबाने की कोशिश नहीं करते ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : प्रधान मंत्री महोदय हमारा समाज आपका आभारी है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं अगले मुद्दे पर आता हूं मैं आपके सभी मुद्दों का उत्तर दूंगा क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : उनका समर्थन यह दिखाता है कि आप कितने धर्म निरपेक्ष हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था वह यह था कि क्या मंगलवार को इस सदन में एक विधेयक लाकर हमने धारा 125 और 127 के अधीन महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं । धारा 125 और 127 हमारी महिलाओं को क्या देती है और क्या नहीं देती है । (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं नहीं सोचता कि आप इस बारे में जानते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जब इस विशेष धारा को पारित किया गया था तब आप सदन में नहीं थे और केवल यह ही अन्तर है। मैंने इसमें हिस्सा लिया था कुछ बातों के बारे में आपको जानकारी करानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सर्वप्रथम स्वीय कानून के अंतर्गत यदि तलाकशुदा को उसका पूरा भत्ता मिल चुका है तो धारा 125 लागू नहीं होती क्या मैं ठीक हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां जी।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अब अगर कोई तलाकशुदा अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो क्या हमें उस मुस्लिम तलाक को स्वीय कानून के लाभ से वंचित करना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हिन्दू कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून ये सब कानून न्यायालयों में संहिताबद्ध रूप से उपलब्ध है। हमारे न्यायालयों में उस ढंग से मुस्लिम कानून उपलब्ध नहीं था। एक धार्मिक समुदाय को कानून बनाने के अधिकारों से वंचित क्यों करे यदि वे उस कानून को अपनाना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : देश के उस कानून का क्या होगा जिसकी उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : किसी भी ढंग से धारा 125 या 127 को इस कानून द्वारा कम नहीं किया गया है इस धाराओं में जो व्यवस्था है मुस्लिम महिलाओं को इस कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर उस से कहीं अधिक मिल रहा है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वह महिला न्यायालय में क्यों गई। शाहबानो उच्चतम न्यायालयों में गई और उसे यह निर्णय मिला।

श्री राजीव गांधी : कई बातों को प्रभावी होने में अधिक समय लग जाता है। आप ध्यान से सुने तो आप समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम इस कानून को आगे क्यों लाये हैं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर महिला स्वयं पर निर्भर है तो धारा 125 लागू नहीं होती यह लागू तभी होती है जब वह गरीब होती है। यह प्रत्येक महिला पर लागू नहीं होती धारा 125 विशेष रूप मे स्वीय कानून तक ही सीमित है एक बार आप स्वीय कानून का सहारा लेते हैं तो धारा 125 लागू नहीं होती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको पूर्वाग्रह है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : धारा 127 इस दृष्टि से धारा 125 को सीमित करती है कि अगर महिला स्वीय कानून के अधीन देय भत्ता प्राप्त कर रही है तो धारा 125 और धारा 127 उस पर लागू नहीं होती।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसलिए हमारा कहना है कि धारा 127 को वापस लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका दृष्टिकोण है यह आपका दृष्टिकोण है आपका अपना दृष्टि हो सकता है आप उन्हें सुनें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे की ओर जा रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : हम पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके सोचने का तरीका है।

श्री राजीव गांधी : धारा 125 तथा 127 किसी भी मायने में महिलाओं के दहेज अथवा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारा 125 और 127 में दोबारा कहूंगा किसी भी प्रकार से सम्बन्धित महिला को दहेज या मेहर देने से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : धारा 125 और 127 महिलाओं को उसकी सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिलाती हैं। उसकी सम्पत्ति, दहेज आदि संबंधी अधिकार उनके स्वीय विधि के अन्तर्गत आते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री राजीव गांधी : नहीं, महोदय । मैं उनकी बात नहीं मान सकता । महोदय, मेरी बात गलत नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये उनके सोचने का तरीका है । आप अपने ढंग से सोच सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब इस विधेयक पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है ।

श्री राजीव गांधी : हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा लगता है विधेयक को विचार के लिए पहले ही लिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हमने हम सत्र के दौरान कुछ चीजों को सभा पटल पर रखा है तथा मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा । क्योंकि उस पर प्रश्न उठाये गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, श्रीमती शाहबानो के मामले को ही लीजिए । उसे धारा 125 तथा 127 के तहत छः वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ा । छः वर्षों तक अदालत में मुकदमा लड़ने के बाद उसे 500 या 200 रुपए या ऐसा ही कुछ दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजरी) : मैं आपको स्थिति से अवगत कराऊंगा । उन्हें 179.25 रुपये दिए गए ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह आंकड़े ठीक कर लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह तो बाटा कंपनी के जूतों के दाम जैसा लगता है ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, छः साल तक अदालत में धारा 125 के तहत लड़ने के बाद उस महिला का 179 रुपया प्रति महीना दिया जाता है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि धारा 125 महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है । इससे महिलाओं को समुचित संरक्षण नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सिर्फ एक ही प्रश्न है और वह यह है कि जो विधेयक हम लाये हैं वह मुस्लिम स्वीय विधि की परिधि में आता है या नहीं ? यह प्रश्न तकनीकी है। राजनैतिक प्रश्न, तथा यह प्रश्न क्या महिला के अपने अधिकार होने चाहिए, इन प्रश्नों को हम सुलझा सकते हैं तथा इस विधेयक पर विचार करने के बाद और यह निश्चय करने के बाद कि जो यह विधेयक लाया गया है वह धर्मनिरपेक्ष विधेयक है, जैसा कि बताया गया है···(व्यवधान) जी हां, किसी विशेष धर्म संबंधी स्वीय विधि को लाने से हमारी धर्म निरपेक्षता में किसी तरह से कमी नहीं आती है।

(व्यवधान)

जहां तक विधेयक के क्रियात्मक भाग का संबंध है, मैंने सदन में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई भी ऐसा मूल मसला उठाया जाता है जिससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं तथा जिसके बारे में हम संतुष्ट हैं कि कहे मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार नहीं है, तो हम इस पर पुनः अवलोकन करने के लिए तैयार हैं।

प्रो० मधुदंडवते : कल आपके अपने दल की बैठक है।

श्री राजीव गांधी : आज भी हमारी बैठक थी आज सुबह भी। आप परेशान मत होईए। मेरी बैठक में आपके दल के लोग भी थे। हम क्या चाहते हैं ? जब हम देश की ओर देखते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि देश का बंटवारा हो और यहां कठिनाईये पैदा हों ?

हमें बताया गया था कि विपक्ष से सलाह नहीं ली गई थी तथा इस विधेयक के बारे में दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए थे। दस महीना की अवधि में क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था कि इस पर ध्यान आकृष्ट करवाते ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : तब आपके वायदे का कोई अर्थ नहीं होता।

श्री राजीव गांधी : आप भूल गए हैं कि हमने आपको बुलाया था और आप नहीं आये थे। आप भूल गये हैं कि आप को बुलाया गया था तथा आप पहुंचे नहीं थे।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको भी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राजीव गांधी : मुझे कहने दीजिए कि उनके न आने का एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि ये हम विधेयक पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करना चाहते थे·····(व्यवधान)

प्रो० मधुदंडवते : यह बात कार्यवाही वृतांत में आनी चाहिए कि यह सही वक्तव्य नहीं है। अगले दिन सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर प्रधान मन्त्री कार्यालय से हमें एक पत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि उस दिन 10 बजे हम बैठक में उपस्थित थे। अतः इस बात पर यह कहना गलत है कि हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। आप इसमें राजनीति को लाने की कोशिश मत करिये।

श्री राजीव गांधी : चूंकि आपको मालूम था कि किस मसले पर चर्चा की जानी थी। इस पर चर्चा होनी थी। (व्यवधान) कुछ ऐसे मसले थे जिन पर चर्चा नहीं हुई थी।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : प्रो० मधुदण्डवते ने एक वक्तव्य दिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पुरःस्थापना की अवस्था में जब यह मसला उठाया गया था तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि देश में किसी भी दल या अल्प संख्यक के मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि जो उनके मूल अधिकार हैं, वे उस समुदाय से छीने जा रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : यही बात समुदाय के लोग सोच रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : दुर्भाग्य से आज विपक्ष भी अल्पसंख्यक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में मत बोलिये (व्यवधान)। कोई चर्चा नहीं,.....

श्री राजीव गांधी : आज हमें जरुरत है राष्ट्रीय एकता की। हम यह देखने की जरुरत है कि ऐसे मसले जो हमारे देश को विभाजित करते हैं, उन्हें इतना ज्यादा न उछाल दें कि वे नियंत्रण से बाहर हो जायें। हमें देखना हैं कि इस तरह के मसलों को राजनैतिक प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाया जाए। सिर्फ सहनशीलता, मित्रभाव तथा आपसी सामंजस्य से ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं।

तभी हम अपने सपनों का भारत संघों सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम सर्वसम्मति तथा समझौते की राजनीति में विश्वास करते हैं। परन्तु सर्वसम्मति तथा मेल मिलाप को दुर्बलता अथवा अनिर्णय नहीं समझना चाहिए इस वर्ष के दौरान, दुनिया में भारत का स्थान और ऊंचा हुआ है उसका कारण है दुनिया के विभिन्न मंचों पर हमारे द्वारा भाग लिया जाना। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं, सोवियत संघ जो कि हमारा पुराना एवं विश्वसनीय मित्र है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : वे हमारे कुछ मित्रों को पसन्द नहीं करते है। हम क्या कर सकते हैं ? किसी भी देश की मित्रता सोवियत संघ तथा भारत की मित्रता में परिवर्तन नहीं ला सकती। तालियों लिये धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जब कभी भी आप समझदारी की बात करते हैं हम सभी आपके साथ सहमत होते हैं।

श्री नारायण चौबे : जब कभी भी आप उचित बात कहते हैं हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

श्री राजीव गांधी : इस वर्ष हमने अमरीका के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किया है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : ना वे ताली बजाते हैं न ही हम।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं क्या कह सकता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान···

श्री वसुदेव आचार्य : आप यहां राष्ट्रीय विकास परिषद को क्यों ला रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं इसलिये कह रहा था क्योंकि आपने सोवियत संघ और अमेरिका का नाम लिया था। मैं उन्हें इसके साथ जोड़ना चाहता था। आप समझ गये मैंने क्या कहा है जब मैंने ऐसा कहा तो उस समय आपने कुछ कहना शुरु किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं थे। अतः इस बारे में मैं उन्हें बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले ही शर्म आ रही है।

श्री राजीव गांधी : राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक मुख्य मंत्री सम्पूर्ण योजना के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्हें यह विचार पसन्द नहीं आया और वह थोड़ा सा असमंजस में थे तथा बैठक समाप्त होने के समय उन्होंने कहा" मैं क्या कर सकता हूं अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे ? क्या मैं इग्लैंड और अमरीका की ओर इस प्रयोजनार्थ देखूं ? "मैं आपको नहीं बताऊंगा वह कौन थे···(व्यवधान) हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जब पूर्व की एक मुख्य मंत्री पश्चिम की ओर आस लगाता है।

श्री नारायण चौबे : क्या मजाक है।

श्री राजीव गांधी : लेकिन महोदय हमें तकलीफ इस बात से है ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस गम्भीरता से नहीं कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें से मुख्य मंत्री शब्द को निकाल दें। यह अच्छी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे मजाक में कहा है।

प्रो० मधुदण्डवते : प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं। अगर आप इस मजाक में कह रहे हैं तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ मजाक है।

श्री राजीव गांधी : परन्तु, महोदय ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूर्व में खड़ा व्यक्ति पूर्व दिशा को नहीं देख सकता। उसे पश्चिम की ओर

आस लगानी पड़ती है ।

श्री राजीव गांधी : परन्तु, महोदय हमें चिन्ता तब होती है जब हमारे वामपंथी मित्र दक्षिण-पंथी लोगों की ओर देखना शुरु करते हैं । इससे हमें दुख होता है।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ हुआ, वे मित्र जो छोड़ गए हैं ।

श्री राजीव गांधी : हमारे वामपंथी मित्र ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सोचा कि आपने कहा है वे मित्र जो छोड़ कर चले गये हैं ।

श्री राजीव गांधी : वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाते हैं, न कि हर रोज ।

(व्यवधान)

महोदय, इस वर्ष भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । हमने आंदोलन को ओर अधिक सुदृढ़ किया है । हमने दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन के मसलों को उठाया, हमने नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, हमने दुनिया में हो रहे विभिन्न मसलों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत द्वारा भाग लेने से यह और भी सुदृढ़ हो गया है । चोगम में भी भारत ने बहुराष्ट्रीक संगठनों को और दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कार्यवाही को उचित ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाई ।

छः राष्ट्रों के सम्मेलन में·····(व्यवधान)

बहामा में जो कुछ हुआ माननीय मित्र उस बारे में नहीं में जानते हैं, तथा उसका प्रभाव इंग्लैंड तथा अमरीका में क्या हुआ था । अगर आप उस बैठक के प्रभाव को देखें, तो आप देखेंगे कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया उसकी वजह से कितने बैंक एवं संस्थायें दक्षिणी अफ्रीका में से बाहर चली गई ।

दुर्भाग्य से, छः राष्ट्रों की भूमिका की वजह से एक बार फिर से आणविक निरस्त्रीकरण के बारे में अत्यधिक जागरूकता पैदा हुई है । इस तरह के मामलों में श्रेय लेने की कोशिश करना सही नहीं हैं . परन्तु भारत में तथा दुनिया में हमारे लिए महत्वपूर्ण है पूरा आणविक निरस्त्रीकरण और हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए । छः राष्ट्रों ने सभी देशों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की है, विशेष रूप से उन देशों में जो कि आणविक निरस्त्रीकरण का विरोध कर रहे हैं जहां पर ऐसी समस्या है ! इस जागरूकता से उनकी सरकारों के रवैये में एक प्रकार का परिवर्तन आया है । भारत ने एक भूमिक निभाई है ।

हामरे क्षेत्र में हमारे नजदीक दक्षिण एशिया में सार्क का गठन करके हमने काफी प्रगति की है । सार्क की सहायता से हमने सभी देशों को नजदीक लाने के लिये पहला कदम उठाया है ।

इस वर्ष के शुरु में पिछले वर्ष पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया ने भारत का दौरा किया । हम विभिन्न चरणों में चर्चा कर रह हैं कि जिस तरह से हम दो देशो के बीच संबंधों को सामान्य

बना सकते हैं तथा हमने एक समय-सारिणी बनाई है जिस पर कदम उठाये जा सकते हैं। दुर्भाग्य से उन वार्ताओं के परिणामों को पूरी तरह से पसन्द नहीं किया गया। गति धीमी है। मैं दोहराना चाहूंगा कि जो भी कदम उठाये जायेंगे वे मिलजुल कर ही उठाये जायेंगे। व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में शुरुआत एकसाथ की जानी चाहिये हम सीमा के मसले पर चर्चा करते आये हैं। परन्तु इसमे हमने ज्यादा प्रगति नहीं की है। हम अपनी बात पर अटल हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और हम उससे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे।

श्री लंका में हाल ही में अत्यधिक हिंसा की घटनाएं हुई थीं। दुर्भाग्य से, सरकार तथा तमिल व्यक्तियों के बीच युद्धविराम नहीं किया जा सका। हमने श्रीलंका सरकार के साथ संबंध बनाया हुआ है। हमें हाल ही में एक नया पत्र मिला है जो पिछले पत्र से थोड़ा सा भिन्न है जो उन्होंने दिया था। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह कदम आगे बढ़ने के लिय पर्याप्त होगा।

मेरे विचार से एक सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस को अपने आपको निर्धारित करना चाहिये क्या आशा लगाई जा रही है।

श्री अमल दत्त : गांधी जी ने भी यही कहा था।

श्री राजीव गांधी : मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस सदस्य के बारे में बोल रहा हूं जो कि केवल कांग्रेस के विघटन होने के पश्चात ही अपना दल बदल सकता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गांधी जी की कांग्रेस समाप्त हो गई है, अब दूसरे गांधी आ गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आविष्कार, सभी गांधी एक जैसे नहीं सोचते।

श्री राजीव गांधी : संभवत : यह उनकी अन्तिम इच्छा है काश इच्छा करने से ही कामना पूरी हो जाती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप आशाओं पर निर्भर रहते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे साथ जनमत है तथा लोगों का विश्वास है। हमारा एक इतिहास है तथा हम नये भारत का निर्माण करेंगे।

एक अन्य मित्र ने मनोहर राजकुमार के बारे कहा है

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो सुन्दरता की कदर करता है।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको यह बात बता दूं कि यहां कोई सुन्दर राजकुमार नहीं है और ना ही कोई जादू की छड़ी है बेट्टाक बाग में कुछ बेताल हों। कांग्रेस दल लोगों का बल है। केसन्ड्रास निराशवादी विचार विचलित नहीं कर सकते राष्ट्र निराश नहीं है। उसका मोहभंग नहीं हुआ है। राष्ट्र को पूरा विश्वास है। यह आशावादी है तथा राष्ट्र को भारतीय होने पर गर्व है।